

देवास विकास प्राधिकरण देवास
चामुण्डा कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड देवास मध्यप्रदेश

क्र. ०।

देवास, दिनांक 18.05.2021

“प्ररूप सत्रह (क)

नियम 19(4) देखिए

धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम देवास सीनियर की भूमि जो तहसील देवास के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजन हेतु देवास विकास प्राधिकरण, देवास द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.डी.एस 02/2020 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रं. 1730 देवास, दिनांक 27.08.2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को देवास विकास प्राधिकरण, देवास द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

(विशाल सिंह चौहान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(देवास विकास प्राधिकरण, देवास)